

मुंबई हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और उन्नयन के संबंध में

महाराष्ट्र सरकार

और

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

के बीच

राज्य सरकार सहायता समझौता

या "एसजीएसए"

विषय-सूची

अनुच्छेद 1 - पृष्ठ 2 परिभाषाएं और व्याख्या - पृष्ठ 2

अनुच्छेद 2 - पृष्ठ 5 पूर्वपेक्षित शर्त - पृष्ठ 5

अनुच्छेद 3 - पृष्ठ 5 महाराष्ट्र सरकार द्वारा सहायता - पृष्ठ 5

|            |            |                                                   |            |
|------------|------------|---------------------------------------------------|------------|
| अनुच्छेद 4 | - पृष्ठ 8  | अवधि और समाप्ति                                   | - पृष्ठ 8  |
| अनुच्छेद 5 | - पृष्ठ 9  | प्रतिनिधित्व और वारंटी                            | - पृष्ठ 9  |
| अनुच्छेद 6 | - पृष्ठ 9  | समन्वय तंत्र                                      | - पृष्ठ 9  |
| अनुच्छेद 7 | - पृष्ठ 9  | विविध                                             | - पृष्ठ 9  |
| अनुसूची 1  | - पृष्ठ 12 | हवाई अड्डा स्थल                                   | - पृष्ठ 12 |
| अनुसूची 2  | - पृष्ठ 13 | हवाई अड्डा स्थल पर अतिक्रमित भूमि का अनंतिम विवरण | - पृष्ठ 13 |
| अनुसूची 3  | - पृष्ठ 15 | वैमानिक सेवाएं                                    | - पृष्ठ 15 |

यह राज्य सरकार सहायता समझौता 27 अप्रैल 2006 को मुंबई में निम्नलिखित पक्षों के बीच निष्पादित किया गया है।

निम्नलिखित पक्षों के बीच:

(1) महाराष्ट्र सरकार के राज्यपाल, जो महाराष्ट्र सरकार की कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं (जिन्हें आगे "महाराष्ट्र सरकार" कहा गया है) - प्रथम पक्ष; और

(2) मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में निगमित एक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल, मुंबई में है (जिन्हें आगे "कंपनी" कहा गया है) - द्वितीय पक्ष।

महाराष्ट्र सरकार और कंपनी को आगे संयुक्त रूप से "पक्षकार" और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" कहा गया है।

चूंकि:

(क) भारत सरकार ने भारत में हवाई अड्डा बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने की अपनी नीति के तहत मुंबई हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण, उन्नयन और विकास के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

(ख) इस उद्देश्य से, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (जिन्हें आगे "एएआई" कहा गया है) और कुछ निजी प्रतिभागियों के एक कंसोर्टियम के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में इस कंपनी की स्थापना की गई है।

(ग) एएआई और कंपनी ने एक संचालन, प्रबंधन और विकास समझौता (ओएमडीए) किया है, जिसके तहत वे उन नियमों और शर्तों पर सहमत हुए हैं जिनके आधार पर परियोजना को लागू किया जाएगा।

(घ) कंपनी द्वारा हवाई अड्डे के विकास, डिजाइन, आधुनिकीकरण, उन्नयन, वित्तपोषण, निर्माण, पूर्णता, रखरखाव, संचालन और प्रबंधन का कार्य हाथ में लेने के लिए ओएमडीए निष्पादित करने की सहमति के बदले, महाराष्ट्र सरकार ने हवाई अड्डे के सुचारू संचालन को आसान बनाने के लिए इस समझौते में निर्धारित सीमा और तरीके से परियोजना को सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।

अब इसलिए, पूर्वगामी और इस समझौते में निर्धारित संबंधित प्रतिज्ञाओं और समझौतों तथा अन्य प्रतिफलों को ध्यान में रखते हुए, जिनकी प्राप्ति, पर्याप्तता और उपयुक्तता को इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, पक्षकार निम्नानुसार सहमत होते हैं:

## अनुच्छेद 1 परिभाषाएं और व्याख्या

### 1.1 परिभाषाएं

इस समझौते में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों का निम्नलिखित अर्थ होगा:

"वैमानिक परिसंपत्तियां" का अर्थ उन परिसंपत्तियों से होगा जो वैमानिक सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक या अपेक्षित हैं और ऐसी अन्य परिसंपत्तियां जिन्हें जेवीसी परियोजना समझौतों के प्रावधानों के अनुसार (या अन्यथा भारत सरकार/एएआई के लिखित निर्देशों पर) किसी भी आरक्षित गतिविधियों के प्रावधान के संबंध में प्राप्त करता है, और इसमें अवधि के दौरान अधिग्रहित या पट्टे पर ली गई सभी भूमि, संपत्ति और उस पर बने ढांचे विशेष रूप से शामिल होंगे;

"वैमानिक सेवाएं" का वही अर्थ होगा जो इसके अनुसूची 3 में दिया गया है;

"समझौता" या "यह समझौता" का अर्थ यह राज्य सरकार सहायता समझौता होगा;

"हवाई अड्डा" का अर्थ हवाई अड्डा स्थल पर स्थित छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा;

"हवाईअड्डा स्थल" का अर्थ अनुसूची 1 में वर्णित भूमि का क्षेत्र है;

"लागू कानून" का अर्थ भारत और महाराष्ट्र राज्य में इस समझौते के अस्तित्व के दौरान लागू और प्रभावी कोई भी और सभी लागू कानून हैं, जिनमें उनके तहत बनाए गए नियम, निर्देश, नियमन और/या अधिसूचनाएं और किसी भी अदालत के निर्णय, डिक्री, व्यादेश, रिट और आदेश शामिल हैं;

"अनुमति" का अर्थ लिखित सहमति, लाइसेंस, अनुमोदन, अनुमति, निर्णय, छूट, अनापत्ति प्रमाण पत्र या किसी भी प्रकृति का अन्य प्राधिकरण या अनुमति है जो परियोजना के संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा समय-समय पर प्राप्त किया जाना आवश्यक है और/या दिया जाना है;

"कंपनी" का वही अर्थ होगा जो इस समझौते की प्रस्तावना में इस शब्द को दिया गया है;

"पूर्वपेक्षित शर्त" का अर्थ इसके अनुच्छेद 2.1 में इस शब्द को दिए गए अर्थ से होगा;

"प्रभावी तिथि" का अर्थ इसके अनुच्छेद 2.1 में इस शब्द को दिए गए अर्थ से होगा;

"संस्था" का अर्थ कोई भी व्यक्ति, निकाय निगमित, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म या व्यक्तियों/व्यक्तियों का अन्य संघ है, चाहे वह पंजीकृत हो या न हो;

"भारत सरकार" का अर्थ भारत सरकार और उसके नियंत्रण तथा निर्देशन के तहत कोई भी एजेंसी, प्राधिकरण (किसी भी नियामक प्राधिकरण सहित), विभाग, निरीक्षक, मंत्रालय या वैधानिक व्यक्ति (चाहे स्वायत्त हो या न हो) है;

"महाराष्ट्र सरकार" का अर्थ महाराष्ट्र सरकार और उसके नियंत्रण तथा निर्देशन के तहत कोई भी एजेंसी, प्राधिकरण (किसी भी नियामक प्राधिकरण सहित), विभाग, निरीक्षक, मंत्रालय या वैधानिक व्यक्ति (चाहे स्वायत्त हो या न हो) है;

"संचालन, प्रबंधन और विकास समझौता" या "ओएमडीए" का अर्थ एएआई और कंपनी के बीच आज की तिथि के आसपास निष्पादित संचालन, प्रबंधन और विकास समझौता है;

"परियोजना" का अर्थ हवाई अड्डे का डिजाइन, विकास, निर्माण, आधुनिकीकरण, उन्नयन, वित्तपोषण, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव है, जैसा कि ओएमडीए के तहत प्रदान किया गया है;

"परियोजना समझौते" का अर्थ निम्नलिखित में से कोई एक या सभी समझौते होंगे, जिनमें से (iii) से (viii) को ओएमडीए में आगे परिभाषित किया गया है: (i) यह समझौता; (ii) ओएमडीए; (iii) शेयरधारक समझौता; (iv) सीएनएस-एटीएम समझौता; (v) एयरपोर्ट ऑपरेटर समझौता; (vi) भारत सरकार का राज्य सहायता समझौता; (vii) एस्करो समझौता; और (viii) प्रतिस्थापन समझौता।

"अवधि" का अर्थ इसके अनुच्छेद 4.1 में इस शब्द को दिए गए अर्थ से होगा;

"तृतीय पक्ष" का अर्थ ऐसी किसी भी संस्था से होगा जो इस समझौते की पक्षकार नहीं है।

"उपयोगिताएं" का अर्थ सामूहिक रूप से हवाई अड्डे पर जल, बिजली और सीवेज निपटान तथा ठोस कचरा प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे से है और "उपयोगिता" का अर्थ इनमें से किसी एक से है।

## 1.2 व्याख्या

इस समझौते में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (i) किसी भी लिंग के संदर्भ में दूसरे लिंग का संदर्भ भी शामिल माना जाएगा।
- (ii) किसी भी अनुच्छेद, खंड, परिशिष्ट, अनुसूची, संलग्नक या अनेक्स का संदर्भ इस समझौते के अनुच्छेद, खंड, परिशिष्ट, अनुसूची, संलग्नक या अनेक्स का संदर्भ होगा।
- (iii) परिशिष्ट, अनुसूचियां, संलग्नक और अनेक्स इस समझौते का एक अभिन्न अंग हैं। अनुच्छेदों के किसी प्रावधान और परिशिष्टों, अनुसूचियों, संलग्नकों या अनेक्सों के किसी प्रावधान के बीच किसी भी विरोध की स्थिति में, अनुच्छेदों का प्रावधान मान्य होगा।
- (iv) समय का कोई भी संदर्भ भारत में समय का संदर्भ माना जाएगा। कैलेंडर का कोई भी संदर्भ ग्रेगोरियन कैलेंडर का संदर्भ माना जाएगा।
- (v) इस समझौते में अनुच्छेदों, खंडों, परिशिष्टों, अनुसूचियों, संलग्नकों और अनेक्सों के शीर्षक केवल संदर्भ की सुविधा के लिए डाले गए हैं और ये इस समझौते के अर्थ या व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे।
- (vi) "शामिल" या "शामिल करते हुए" (Including) शब्दों के बाद "बिना किसी सीमा के" या "लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं" शब्द जुड़े हुए माने जाएंगे, भले ही उनके बाद ऐसे वाक्यांश लिखे हों या न हों।

(vii) संदर्भित समय की कोई भी अवधि ऐसी अवधि की अंतिम तिथि के अंत में समाप्त मानी जाएगी।

(viii) निर्माण का यह नियम लागू नहीं होगा कि किसी अनुबंध की व्याख्या उसकी प्रारूपण और तैयारी के लिए जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ की जानी चाहिए।

(ix) समझौतों, विलेखों, दस्तावेजों या अन्य दस्तावेजों के सभी संदर्भों में समय-समय पर संशोधित, पूरक, परिवर्तित, प्रतिस्थापित, नवीनीकृत या समनुदेशित समझौते, दस्तावेज का संदर्भ शामिल माना जाएगा।

(x) कानून का बल रखने वाले किसी भी कानून या विनियमन के संदर्भ में समय-समय पर संशोधित, परिवर्तित, पूरक, विस्तारित या पुनर्गठित कानून या विनियमन का संदर्भ शामिल है।

## अनुच्छेद 2 पूर्वपेक्षित शर्त

2.1 इस समझौते के प्रावधान (अनुच्छेद 1, 2, 3.6.1, 3.6.3, 3.6.4, 6 और 7 में निहित प्रावधानों को छोड़कर, जो इस समझौते की तिथि से प्रभावी होंगे) उस तिथि ("प्रभावी तिथि") से प्रभावी होंगे जिस दिन ओएमडीए की पूर्वपेक्षित सभी शर्तें ओएमडीए की शर्तों के अनुसार पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती हैं या छोड़ दी जाती हैं ("पूर्वपेक्षित शर्त")।

महाराष्ट्र सरकार इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, पूर्वपेक्षित शर्त की पूर्ति से पहले किसी भी समय, इस समझौते की किसी भी और/या सभी पूर्वपेक्षित शर्तों की पूर्ति को छोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखती है। इस संबंध में, पक्षकारों के बीच यह स्पष्ट रूप से समझा गया है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस समझौते की किसी भी पूर्वपेक्षित शर्त की पूर्ति को छोड़ना, किसी अन्य परियोजना समझौते के प्रयोजनों के लिए, ऐसे किसी अन्य परियोजना समझौते की पूर्वपेक्षित शर्तों में से किसी को छोड़ना नहीं माना जाएगा।

## 2.2 पूर्वपेक्षित शर्तों का पालन न होना

यदि ओएमडीए को उसकी पूर्वपेक्षित शर्तों की पूर्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया जाता है, तो यह समझौता तुरंत समाप्त हो जाएगा।

## अनुच्छेद 3 महाराष्ट्र सरकार द्वारा सहायता

### 3.1 हवाई अड्डा स्थल पर भूमि अतिक्रमण और बाधाएं

3.1.1 पक्षकार इसके द्वारा स्वीकार करते हैं कि वर्तमान में कुछ अनाधिकृत कब्जाधारी और अन्य व्यक्ति हैं जिन्होंने हवाई अड्डा स्थल पर अतिक्रमण किया है, और वर्तमान में हवाई अड्डा स्थल बनाने वाली भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। हवाई अड्डा स्थल का वह भाग जिस पर अतिक्रमण किया गया है, उसे अनुसूची 2 के रूप में इसके साथ संलग्न किया गया है।

3.1.2 यदि, अवधि के दौरान किसी भी समय, कंपनी को हवाई अड्डा स्थल पर किसी भी ऐसी भूमि के उपयोग की आवश्यकता होती है, जो अतिक्रमण के अधीन है और वैमानिक सेवाओं के प्रावधान में बाधा डाल रही है और/या हवाई अड्डे पर किसी भी वैमानिक संपत्ति का निर्माण, विकास और रखरखाव करने में बाधा उत्पन्न कर रही है, तो वह महाराष्ट्र सरकार और एएआई को इसकी सूचना देगी।

3.1.3 कंपनी से उपरोक्त सूचना प्राप्त होने के अनुसरण में, महाराष्ट्र सरकार कंपनी और एएआई को कंपनी द्वारा आवश्यक भूमि को, हवाई अड्डे पर वैमानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए या उसके संबंध में, और/या हवाई अड्डे पर किसी भी वैमानिक संपत्ति का निर्माण, विकास और रखरखाव करने के लिए, उस पर मौजूद किसी भी और सभी अतिक्रमणों से मुक्त कराने में सर्वोत्तम प्रयास करेगी, जिसमें संबंधित अनाधिकृत कब्जाधारियों के साथ बातचीत करना और किसी भी पुनर्वास की प्रक्रिया शामिल है।

अनाधिकृत कब्जाधारियों का। *बशर्ते कि, ऐसे पुनर्वसन की लागत पूरी तरह से कंपनी द्वारा वहन की जाएगी।*

3.1.4 महाराष्ट्र सरकार इसके द्वारा पुष्टि करती है कि वह (लागू झुग्गी पुनर्वास योजना के अनुसार) ऐसी भूमि की पहचान करने और उसे आरक्षित करने का सर्वोत्तम प्रयास करेगी जहाँ हवाई अड्डा स्थल पर अतिक्रमण करने वाले अनाधिकृत कब्जाधारियों और अन्य व्यक्तियों को स्थानांतरित किया जा सके। पुनर्वसन की लागत पूरी तरह से कंपनी द्वारा वहन की जाएगी।

3.1.5 कोई भी पुनर्वसन लागू कानून के अनुसार होगा।

3.1.6 महाराष्ट्र सरकार लागू कानून के तहत सुरक्षित और कुशल हवाई यातायात आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डे की सीमा के बाहर किसी भी बाधा को हटाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने का वचन देती है। इस संबंध में, महाराष्ट्र सरकार यह सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम प्रयास करने का वचन देती है कि हवाई अड्डे के आसपास कोई नया विकास न हो जो ऐसी बाधा उत्पन्न करे जिससे हवाई अड्डे से या हवाई अड्डे के लिए सुरक्षित और कुशल हवाई यातायात आवाजाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जहाँ कोई ऐसा विकास प्रस्तावित है जो ऐसी बाधा उत्पन्न करेगा, महाराष्ट्र सरकार एएआई और जेवीसी दोनों को ऐसे विकास के बारे में तुरंत सूचित करेगी और जब तक जेवीसी की सहमति से एएआई द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता, तब तक ऐसे किसी भी विकास को मंजूरी नहीं देगी।

3.2 हवाई अड्डा विकास के लिए अतिरिक्त भूमि

महाराष्ट्र सरकार इसके द्वारा पुष्टि करती है कि वह कंपनी को ऐसी अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने का सर्वोत्तम प्रयास करेगी, जिसकी कंपनी को आवश्यकता हो सकती है और जिसे वैमानिक सेवाएं प्रदान करने और/या हवाई अड्डे पर किसी भी वैमानिक संपत्ति का निर्माण, विकास और रखरखाव करने के लिए कंपनी द्वारा पहचाना गया हो। कंपनी महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई ऐसी किसी भी भूमि को बाजार मूल्य पर या ऐसे अन्य मूल्य पर खरीदने का वचन देती है जो आपस में सहमत हो। ऐसी अधिग्रहित भूमि

जिसका उपयोग वैमानिक सेवाओं के प्रावधान के लिए और/या उस पर किसी भी वैमानिक संपत्ति के निर्माण, विकास और रखरखाव के लिए किया जाता है, वैमानिक संपत्तियों का हिस्सा बनेगी।

### 3.3 हवाई अड्डे तक सर्फेस पहुँच

पक्षकार इसके द्वारा स्वीकार करते हैं कि वर्तमान में हवाई अड्डे तक पहुँचने या बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता अंधेरी-सहार मार्ग है ("मौजूदा प्रवेश और निकास")। पक्षकार आगे स्वीकार करते हैं कि हवाई अड्डे पर बढ़ते यात्रियों और अन्य यातायात को संभालने के लिए मौजूदा प्रवेश और निकास अपर्याप्त हो सकते हैं। पूर्वगामी के आलोक में, महाराष्ट्र सरकार इसके द्वारा पुष्टि करती है कि वह बढ़ते यात्रियों और अन्य यातायात की गति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए मौजूदा प्रवेश और निकास को उन्नत, आधुनिक और बनाए रखने का सर्वोत्तम प्रयास करेगी और हवाई अड्डे तक पहुँचने तथा बाहर निकलने के लिए सार्वजनिक परिवहन के अतिरिक्त साधनों (जैसे रेलवे/मेट्रो कनेक्शन) को विकसित करने का उचित प्रयास करेगी।

हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र की समग्र नगर योजना के अनुसार और कंपनी द्वारा प्रदान किए गए किसी भी इनपुट (यदि महाराष्ट्र सरकार अपने विवेक से उचित समझे) को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, सतही पहुँच विकास के सम्भावित क्षेत्रों की पहचान करने हेतु मास्टर प्लान के विकास के दौरान महाराष्ट्र सरकार और कंपनी एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।

### 3.4 उपयोगिताएं

पक्षकार आगे स्वीकार करते हैं कि आगे चलकर, जैसे-जैसे ओएमडीए में परिकल्पित तरीके से हवाई अड्डे का विकास और आधुनिकीकरण होगा और समय के साथ हवाई अड्डे पर यात्रियों तथा अन्य यातायात में वृद्धि होगी, उपयोगिताओं की क्षमता का विस्तार करने की आवश्यकता हो सकती है। पूर्वगामी के आलोक में, महाराष्ट्र सरकार इसके द्वारा पुष्टि करती है कि वह हवाई अड्डे के विकास और आधुनिकीकरण को सक्षम बनाने तथा बढ़ते यात्रियों और अन्य यातायात को संभालने के लिए भुगतान के आधार पर हवाई अड्डे हेतु पर्याप्त मात्रा में उपयोगिताएं (उस सीमा तक जहां तक ये सेवाएं आमतौर पर महाराष्ट्र सरकार या उसके विभागों/एजेंसियों/महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुख्य रूप से स्वामित्व या नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती हैं) प्रदान करने का सर्वोत्तम प्रयास करेगी। महाराष्ट्र सरकार आगे पुष्टि करती है कि वह उपयोगिताओं से संबंधित मौजूदा सुविधाओं को बनाए रखने और विकसित करने का सर्वोत्तम प्रयास करेगी (उस सीमा तक जहां तक ये सेवाएं आमतौर पर महाराष्ट्र सरकार या उसके विभागों/एजेंसियों/महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुख्य रूप से स्वामित्व या नियंत्रित संस्थाओं द्वारा बनाए रखी जाती हैं)।

### 3.5 हवाई अड्डे पर सुरक्षा और संरक्षा आवश्यकताएं

3.5.1 पक्षकार इसके द्वारा स्वीकार करते हैं कि हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखी जानी चाहिए ताकि पक्षियों और जानवरों की उपस्थिति से बचा जा सके, जो हवाई अड्डे के सुचारू संचालन में बाधा डाल सकते हैं और विमान की सुरक्षा

को प्रभावित कर सकते हैं। पूर्वगामी के आलोक में, महाराष्ट्र सरकार इसके द्वारा पुष्टि करती है कि वह हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने का सर्वोत्तम प्रयास करेगी ताकि ऐसे क्षेत्र में पक्षियों और जानवरों की उपस्थिति के परिणामस्वरूप हवाई अड्डे के संचालन में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप या नुकसान को रोका जा सके।

3.5.2 महाराष्ट्र सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हवाई अड्डे पर सामान्य और नियमित पुलिस सेवा अपने स्वयं के खर्च पर प्रदान करेगी। जेवीसी महाराष्ट्र सरकार को उक्त कार्य को करने में सक्षम बनाने के लिए अपने खर्च पर हवाई अड्डे पर उचित कार्यालय स्थान उपलब्ध कराएगा।

3.5.3 इस समझौते में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, पक्षकार इसके द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि महाराष्ट्र सरकार हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी तीसरे पक्ष या जेवीसी के किसी भी और सभी कार्यों, कार्यवाहियों, नुकसानों, क्षतियों, देनदारियों, दावों, लागतों और खर्चों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगी।

### 3.6 अनुमतियां

3.6.1 पक्षकार इसके द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि ओएमडीए में विस्तार से निर्धारित अनुसार परियोजना को शुरू करने और लागू करने के लिए लागू कानून द्वारा अपेक्षित सभी अनुमतियों को प्राप्त करना और हर समय बनाए रखना कंपनी की एकमात्र जिम्मेदारी और दायित्व होगा। इस उद्देश्य के लिए, लागू कानून का पूर्ण अनुपालन करते हुए कंपनी द्वारा आवेदन किए जाने पर (बशर्ते कि लागू कानून के तहत कंपनी ऐसी अनुमति प्राप्त करने की हकदार हो), महाराष्ट्र सरकार प्रासंगिक वैधानिक अवधि (यदि कोई हो) के भीतर परियोजना के लिए या उसके संबंध में आवश्यक अनुमतियां प्रदान करने का अपना सर्वोत्तम प्रयास करेगी। जहां कोई वैधानिक अवधि निर्धारित नहीं है, वहां महाराष्ट्र सरकार विधिवत पूर्ण और लागू कानूनों के पूर्ण अनुपालन में प्रासंगिक आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद उचित समय के भीतर परियोजना के लिए या उसके संबंध में आवश्यक ऐसी अनुमतियां प्रदान करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगी।

3.6.2 महाराष्ट्र सरकार सक्षम स्थानीय प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान के अनुमोदन को प्राप्त करने में सर्वोत्तम सहायता प्रदान करने का आगे वचन देती है।

3.6.3 अनुमतियों के अनुदान को सुगम बनाने के लिए, महाराष्ट्र सरकार सचिव स्तर के अधिकारी को नामित करेगी, जो महाराष्ट्र सरकार के नियंत्रण और निर्देशन के तहत संबंधित एजेंसियों, प्राधिकरणों, विभागों, निरीक्षकों, मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित करने में कंपनी को सहायता प्रदान करेगा।

3.6.4 कंपनी इसके द्वारा वचन देती है कि अनुमतियों के अनुदान को शीघ्रता से पूरा करने के लिए, वह लगन से और समयबद्ध तरीके से, (i) संबंधित अधिकारियों के पास आवेदन तैयार करेगी और जमा करेगी, जो लागू कानून का पूर्ण अनुपालन करते हैं; और (ii) संबंधित अधिकारियों के साथ उपरोक्त आवेदनों का फॉलो-अप करेगी।

## अनुच्छेद 4 अवधि और समाप्ति

4.1 उपरोक्त अनुच्छेद 2 के अधीन, यह समझौता प्रभावी तिथि से पूरी तरह लागू और प्रभावी होगा और ओएमडीए के साथ समकालीन (सह-समाप्त) होगा। अत्यधिक सावधानी के लिए इसके द्वारा स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि ओएमडीए की समाप्ति और/या समय से पहले समाप्ति पर यह समझौता स्वतः समाप्त हो जाएगा, चाहे कारण कुछ भी हो/जब तक कि हवाई अड्डा स्थायी रूप से बंद न हो जाए (अवधि) तब तक पूर्ण प्रभाव में बना रहेगा। अत्यधिक सावधानी के लिए, पक्षकारों के बीच इसके द्वारा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि ओएमडीए के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे का महज एक अस्थायी बंद होना इस समझौते की समाप्ति का कारण नहीं बनेगा।

4.2 इस समझौते के अनुसरण में कंपनी को दिए गए अधिकार और लाभ किसी भी उत्तराधिकारी और अनुमत... को हस्तांतरित माने जाएंगे और उनके लाभ के लिए लागू होंगे।

समनुदेशिनी को, या किसी भी अन्य व्यक्ति (एएआई या एएआई के किसी भी उत्तराधिकारी सहित) को, जो किसी भी समय हवाई अड्डे का संचालन कर सकता है।

## अनुच्छेद 5 प्रतिनिधित्व और वारंटी

### 5.1 कंपनी द्वारा प्रतिनिधित्व और वारंटी

कंपनी इसके द्वारा महाराष्ट्र सरकार को प्रतिनिधित्व और वारंटी देती है कि:

(a) कंपनी भारत के कानूनों के तहत निगमित शेयरों द्वारा सीमित एक निजी कंपनी है और इसका गठन उचित रूप से किया गया है और यह अपने निगमन के बाद से निरंतर अस्तित्व में है;

(b) कंपनी के पास कॉर्पोरेट शक्ति और अधिकार है और उसने इस समझौते को वैध रूप से निष्पादित करने, सौंपने और अपने अधिकारों का प्रयोग करने तथा अपने दायित्वों का वैध रूप से पालन करने के लिए आवश्यक सभी कॉर्पोरेट कार्रवाइयां की हैं; और

### 5.2 महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व और वारंटी

महाराष्ट्र सरकार इसके द्वारा कंपनी को प्रतिनिधित्व और वारंटी देती है कि:

(a) महाराष्ट्र सरकार के पास इस समझौते को निष्पादित करने, अपने अधिकारों का प्रयोग करने और सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर इस समझौते के तहत अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिए अधिकार, शक्ति और प्राधिकार है तथा उसने आवश्यक सभी कार्रवाइयां की हैं।

## अनुच्छेद 6 समन्वय तंत्र

6.1 इस समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे को महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित की जाने वाली एक समन्वय समिति के तंत्र के माध्यम से हल किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव करेंगे, जिसमें भारत सरकार और अन्य संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

6.2 यह समझौता महाराष्ट्र राज्य द्वारा किसी भी दायित्व के प्रवर्तन के लिए और इसके परिणामस्वरूप जेवीसी या किसी भी पक्ष द्वारा उठाए गए नुकसान/क्षति आदि के लिए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

## अनुच्छेद 7 विविध

### 7.1 सूचना

7.1.1 इस समझौते की शर्तों के तहत आवश्यक या अनुमत या कानून द्वारा आवश्यक कोई भी सूचना (जब तक कि अन्यथा सहमति न हो) लिखित रूप में होगी और इसे वितरित किया जाएगा व्यक्तिगत रूप से, या यथोचित रूप से पंजीकृत डाक या हवाई डाक द्वारा, सही पते के साथ पूरी तरह से पूर्व-भुगतान वाले लिफाफे में, अथवा फैक्स द्वारा संबंधित पक्षों को निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी:

**महाराष्ट्र सरकार:** पता: कमरा 155, मंत्रालय, मुंबई - 400032 फैक्स नं.: 22815098

**कंपनी:** पता: छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल, मुंबई फैक्स नं.:

या ऐसे अन्य पते या फैक्स नंबर पर जिसे सूचना द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए।

7.1.2 ऐसी कोई भी सूचना अंग्रेजी भाषा में होगी और व्यक्तिगत रूप से सौंपे जाने पर वास्तविक वितरण के समय, फैक्स द्वारा भेजे जाने पर अगले कार्य दिवस पर, या अन्य किसी स्थिति में पूर्व में बताए गए तरीके से डाक द्वारा भेजे जाने के 7 दिनों के भीतर दी गई मानी जाएगी।

### 7.2 पृथक्करणीयता

7.2.1 यदि इस समझौते में निहित शर्तों, निबंधनों या प्रावधानों का कोई भी भाग किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी सीमा तक अमान्य, गैर-कानूनी या अप्रवर्तनीय ठहराया जाता है, तो ऐसी शर्तों, निबंधनों या प्रावधानों को उस सीमा तक शेष शर्तों, निबंधनों और प्रावधानों से अलग कर दिया जाएगा, जो कानून द्वारा अनुमत पूर्ण सीमा तक मान्य और प्रवर्तनीय बने रहेंगे।

### 7.3 संपूर्ण समझौता

7.3.1 यह समझौता, अपनी सभी अनुसूचियों और संलग्नकों के साथ, इस समझौते के विषय के संबंध में पक्षकारों के बीच संपूर्ण समझौते और समझ का प्रतिनिधित्व करता है,

तथा पक्षकारों के बीच हुए किसी भी पूर्व लिखित या मौखिक समझौते या समझ का स्थान लेता है।

#### 7.4 संशोधन

7.4.1 इस समझौते में कोई भी जोड़, संशोधन या परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह लिखित रूप में न हो और दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित न किया गया हो।

#### 7.5 समनुदेशन

7.5.1 इस तिथि के बाद लागू कानून में किसी भी बदलाव के बावजूद, जो अन्यथा इस समझौते के समनुदेशन की अनुमति दे सकता है, कोई भी पक्षकार (अनुच्छेद 7.5.2 के अनुसार अनुमत को छोड़कर) इस समझौते को या इसके तहत उत्पन्न होने वाले किसी अधिकार या दायित्व या इसके तहत किसी लाभ या हित का समनुदेशन नहीं कर सकता है, और न ही इस समझौते पर या इसके तहत उत्पन्न किसी अधिकार या दायित्व अथवा इसके किसी लाभ या हित पर कोई प्रतिभूति बना सकता है या बनाए रखने की अनुमति दे सकता है।

#### 7.6 कोई साझेदारी नहीं

7.6.1 यह समझौता पक्षकारों के बीच साझेदारी का गठन नहीं करेगा और न ही ऐसा अर्थ लगाया जाएगा। किसी भी पक्षकार के पास (जब तक कि इस समझौते के आधार पर या अन्यथा लिखित रूप से स्पष्ट रूप से प्रदान न किया गया हो और रद्द न किया गया हो) दूसरे पक्षकार को अपने एजेंट या अन्यथा रूप में बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने ऊपर पहली बार लिखी गई तिथि और वर्ष को अपने विधिवत अधिकृत अधिकारियों और प्रतिनिधियों द्वारा इस समझौते को निष्पादित करवाया है।

## अनुसूची 1

### हवाईअड्डा स्थल

"हवाईअड्डा स्थल" का वही अर्थ होगा जो ओएमडीए में परिभाषित किया गया है।

## अनुसूची 2

हवाई अड्डा स्थल पर अतिक्रमित भूमि का अनंतिम विवरण

| गाँव              | कुल क्षेत्रफल<br>ल<br>(एकड़ ) | कुल सर्वेक्षण संख्या<br>(लगभग) | पॉकेट का नाम                                   | अतिक्रमणकारियों की संख्या | बीएमसी वार्ड        | पुलिस स्टेशन       |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| कोला कल्याण       | 722                           | 215                            | 1)<br>कलीना-कुर्ला रोड                         |                           | एच (पूर्व) / पश्चिम | वकोला पुलिस स्टेशन |
|                   |                               |                                | 2)<br>ज़ांबटपाड़ा , आज़ादनगर , इंदिरा नगर      | 65<br>1100                |                     |                    |
|                   |                               |                                | 3)<br>शिवनगर (मुख्य एयर गेट बीएपी के सामने)    | 150<br>150<br>6000        |                     |                    |
|                   |                               |                                | 4) आईए स्पोर्ट्स क्लब के अंदर                  | 3000<br>4                 |                     |                    |
|                   |                               |                                | 5)<br>गांवदेवी                                 | 3780                      |                     |                    |
|                   |                               |                                | कुल: 14169                                     |                           |                     |                    |
|                   |                               |                                | 6)<br>अग्रीपाड़ा (पुराना)                      |                           |                     |                    |
| 7) बाय अब्बास अली |                               | के (पूर्व) , एल वार्ड          | एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन / साकीना का पुलिस स्टेशन |                           |                     |                    |

| गाँव | कुल क्षेत्रफल (एकड़) | कुल सर्वेक्षण संख्या (लगभग) | पॉकेट का नाम                                                                                                                                                    | अतिक्रमणकारियों की संख्या                                                 | बीएमसी वार्ड | पुलिस स्टेशन                                      |
|------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
|      |                      |                             | चौधरी<br><br>8) क्रांतिनगर                                                                                                                                      |                                                                           |              |                                                   |
| सहार | 561                  | 150                         | 9) पी एंड टी क्वार्टर्स साइड<br><br>10) शांतिनगर सहार<br><br>11) सहार विलेज टैंक<br><br>12) बटार फाकवाड़ी<br><br>13) पेट्रोल पंप के सामने (टर्मिनल-II के सामने) | 30<br><br>5000<br><br>2000<br><br>100<br><br>1020<br><br><b>कुल: 8150</b> | के (पूर्व)   | विले पार्ले पुलिस स्टेशन<br><br>सहार पुलिस स्टेशन |
| मरोल | 190                  | 33                          | 14) मरोल टेक. एरिया                                                                                                                                             | 5000<br><br>1000                                                          | के (पूर्व)   | सहार पुलिस स्टेशन                                 |

| गाँव        | कुल क्षेत्रफल (एकड़) | कुल सर्वेक्षण संख्या (लगभग) | पॉकेट का नाम             | अतिक्रमणकारियों की संख्या | बीएमसी वार्ड     | पुलिस स्टेशन             |
|-------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
|             |                      |                             | 15)<br>नवपाड़ा           | कुल: 6000                 |                  |                          |
|             |                      |                             | 16)<br>चिमणपाड़ा         |                           |                  |                          |
| विले पार्ले | 128                  | 32                          | 18)<br>अग्रीपाड़ा        | 1500                      | एच (पूर्व)       | वकोला पुलिस स्टेशन       |
|             |                      |                             | 19)<br>आशा नगर मिलन सबवे | 800                       |                  |                          |
|             |                      |                             | 20)<br>शास्त्रीनगर       | 700                       |                  |                          |
|             |                      |                             | 21)<br>संभाजीनगर         | 500                       | एच (पूर्व) वार्ड | विले पार्ले पुलिस स्टेशन |
|             |                      |                             | 22)<br>अंबेडकरनगर        | 500                       |                  |                          |
|             |                      |                             | 23)<br>अशोकनगर           | 300                       |                  |                          |
|             |                      |                             | 24)                      | 150                       |                  |                          |
|             |                      |                             |                          | कुल: 5350                 |                  |                          |

| गाँव     | कुल क्षेत्रफल (एकड़) | कुल सर्वेक्षण संख्या (लगभग) | पॉकेट का नाम                                                                                                                         | अतिक्रमणकारियों की संख्या                            | बीएमसी वार्ड     | पुलिस स्टेशन      |
|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|          |                      |                             | संजय गांधीनगर<br><br>25) सुभाषनगर                                                                                                    |                                                      |                  |                   |
| कुर्ला   | 121 ½                | 40                          | 26) क्रांतिनगर (कल्पना टॉकीज के सामने)<br><br>27) सुंदरेशनगर<br><br>28) जरीमरी<br><br>29) शास्त्रीनगर, त्यागाली, काजूपाड़ा, दालबाजार | 130<br><br>2500<br><br>8000<br><br><b>कुल: 10630</b> | एल वार्ड         | साकीना का         |
| कोडिविटा | 11                   | 6                           | 14) मरोल टेक. एरिया                                                                                                                  | 480                                                  | के (पूर्व) वार्ड | सहार पुलिस स्टेशन |
| बापनाला  | 25 ½                 | 12                          | 14) मरोल टेक.                                                                                                                        | 1200                                                 | के (पूर्व)       | सहार पुलिस स्टेशन |

| गाँव      | कुल क्षेत्रफल<br>(एकड़ ) | कुल सर्वेक्षण संख्या<br>(लगभग) | पॉकेट का नाम                       | अतिक्रमणकारियों की संख्या | बीएमसी वार्ड | पुलिस स्टेशन             |
|-----------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|
|           |                          |                                | एरिया                              |                           |              |                          |
| बामनवाड़ा | 30 ½                     | 17                             | 30) आंबेवाड़ी<br>31) ब्राह्मणवाड़ा | 500<br>1000               | के पूर्व     | विले पार्ले पुलिस स्टेशन |

| गाँव   | कुल क्षेत्रफल<br>(एकड़ ) | कुल सर्वेक्षण संख्या<br>(लगभग) | पॉकेट का नाम                                        | अतिक्रमणकारियों की संख्या | बीएमसी वार्ड       | पुलिस स्टेशन        |
|--------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| चकाला  | 22                       | 39                             | 32) चकाला पॉकेट्स                                   | 1500<br>2000              | के पूर्व           | अंधेरी पुलिस स्टेशन |
| मोहाली | 37 ½                     | 10                             | 33) हिल नं. 3 पार्ट<br>34) तानाजी नगर<br>35) जरीमरी | 8000                      | एल वार्ड साकीना का | साकीना का           |

| गाँव        | कुल क्षेत्रफल<br>(एकड़ ) | कुल सर्वेक्षण संख्या<br>(लगभग ) | पॉकेट का नाम                                      | अतिक्रमणकारियों की संख्या        | बीएमसी वार्ड   | पुलिस स्टेशन   |
|-------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| असलफा किरोल | 26 ½                     | 1                               | 33) हिल नं. 3 पार्ट                               | 2000                             | एन वार्ड       | घाटकोपर        |
|             |                          | प्लॉट नं. 20                    | 36) हिल नं. 4 पार्ट और मुकंद आयरन फैक्टरी के पीछे | 5000                             | एल वार्ड       | घाटकोपर        |
| कुल 12 गाँव | 1875                     | 607                             | अतिक्रमणों की कुल संख्या                          | 64,379<br><br>लगभग 65,000 संख्या | 4 बीएमसी वार्ड | 8 पुलिस स्टेशन |

अतिक्रमण के तहत क्षेत्रफल – लगभग 171 एकड़

यह संख्या 1990 में अनुमानित की गई थी, जो 1995 के अनुमान के अनुसार बढ़कर लगभग 85,000 झोपड़ियों तक पहुँच गई होगी।

### अनुसूची 3

#### वैमानिक सेवाएं

"वैमानिक सेवाएं" का अर्थ निम्नलिखित सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान से है:

1. उड़ान संचालन सहायता और क्रू सहायता प्रणालियों का प्रावधान;
2. राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को छोड़कर, हवाई अड्डे के सुरक्षित और संरक्षित संचालन को सुनिश्चित करना;
3. विमानों की आवाजाही और पार्किंग तथा नियंत्रण सुविधाएं;
4. हवाई अड्डे का सामान्य रखरखाव और रख-रखाव;
5. रखरखाव सुविधाएं और उनका नियंत्रण तथा विमानों के लिए हैंगर सुविधाएं;
6. उड़ान सूचना प्रदर्शन स्क्रीन;
7. बचाव और अग्निशमन सेवाएं;
8. हवाई अड्डे पर नियोजित कर्मियों का प्रबंधन और प्रशासन;
9. हवाई अड्डे पर कर्मचारियों और यात्रियों की आवाजाही और परिवहन के सभी साधनों के बीच उनका आदान-प्रदान;
10. रिमोट बोर्डिंग के लिए वाहनों सहित यात्री बोर्डिंग और उतरने की प्रणालियों का संचालन और रखरखाव; और
11. हवाई अड्डे के सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए आवश्यक मानी जाने वाली कोई भी अन्य सेवाएं।

उपरोक्त सुविधाओं और सेवाओं की अधिक विस्तृत सूची में निम्नलिखित शामिल होंगे:

12. एरोड्रोम नियंत्रण सेवाएं
13. एयरफील्ड
14. एयरफील्ड लाइटिंग
15. एयर टैक्सी सेवाएं
16. एयरसाइड और लैंडसाइड एक्सेस सड़कें और फोरकोर्ट, जिसमें राइटिंग, ट्रैफिक सिग्नल, साइनेज और निगरानी शामिल हैं
17. अधिकृत प्रदाताओं द्वारा विमान ईंधन भरने की सेवाओं के लिए सामान्य हाइड्रेंट ढांचा
18. एप्रन और विमान पार्किंग क्षेत्र
19. एप्रन नियंत्रण और विमान स्टैंड का आवंटन
20. आगमन कॉन्कोर्स और बैठक क्षेत्र
21. बैगेज प्रणालियां, जिसमें आउटबाउंड और रिक्लेम शामिल हैं
22. पक्षी भगाने की व्यवस्था
23. चेक-इन कॉन्कोर्स
24. सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई, हीटिंग, लाइटिंग और एयर कंडीशनिंग

25. सीमा शुल्क (कस्टम्स) और आव्रजन (इमिग्रेशन) हॉल
26. आपातकालीन सेवाएं
27. दिव्यांगों और अन्य विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए सुविधाएं
28. अग्निशमन सेवा
29. उड़ान सूचना और सार्वजनिक घोषणा प्रणालियां
30. गंदे पानी और सतह के पानी की निकासी
31. मार्गदर्शन प्रणालियां और विमान निर्देशन
32. सूचना केंद्र
33. अंतर-टर्मिनल परिवहन प्रणालियां
34. लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियां और यात्री वाहक पट्टी
35. लोडिंग ब्रिज
36. खोया-पाया सामान
37. यात्री और हाथ के सामान की जांच
38. पियर और प्रवेश द्वार कक्ष
39. पुलिस व्यवस्था और सामान्य सुरक्षा
40. प्रार्थना कक्ष
41. डाकघरों के लिए बुनियादी ढांचा/सुविधाएं
42. सार्वजनिक टेलीफोन के लिए बुनियादी ढांचा/सुविधाएं
43. बैंकों के लिए बुनियादी ढांचा/सुविधाएं
44. मुद्रा विनिमय केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचा/सुविधाएं
45. रनवे
46. संकेत चिह्न
47. कर्मचारियों की जांच
48. टैक्सीवे
49. शौचालय और शिशु देखभाल कक्ष
50. अपशिष्ट और कचरा उपचार तथा निपटान
51. साथ ले जाने वाले और जमा किए गए सामान के लिए एक्स-रे सेवा
52. अति विशिष्ट व्यक्ति / विशेष लाउंज